न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 37/2024

गौतम वगैरह बनाम बीरबल वगैरह

उभय पक्षरान

प्रार्थना पत्र बाबत किये जाने पत्थरगढ़ी

निर्णय

निर्णय दिनांक 27.03.2025

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की भूमि खाता संख्या नया 169 व पुराना 155 के खसरा नम्बर 61 रकबा 0.01 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 62 रकबा 9.27 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 9.2800 हेक्टेयर वाके ग्राम हेतमसर, पटवार हल्का भारू, भू. अ.नि. क्षेत्र भीमसर, तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू में स्थित है।उक्त आराजी के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी के सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार महोदय मण्डावा के समक्ष आवेदन पेश किया जिस पर तहसीलदार मण्डावा द्वारा दिनांक 316/22.. को मौके पर जाकर पक्षकारान की उपस्थिति सीमाज्ञान की गई और प्रार्थीगण की सीमाओं को जरिये मुस्तकिल चिन्हों के द्वारा सीमाकंन किया गया। लेकिन अप्रार्थीगण उक्त भूमि के पडौसी खातेदार काश्तकार द्वारा प्रार्थीगण की उक्त भूमि में जबरन मजाहमत करने के कारण तथा प्रार्थीगण की अपनी सीमाओं को महदूद करने कीगुरेज से पत्थरगढी करवाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है। इसलिए श्प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि की नियमानुसार पत्थरगढी किया जाना नितान्त आवश्यक हैं।अप्रार्थीगण उक्त भूमि के पडौसी खातेदार काश्तकार है जो प्रार्थीगण की भूमि के चारो दिशाओ के खातेदार काश्तकार है।प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि की सुरक्षा वास्ते, एंव पडोसी खातेदारो से लडाई झगडो से निजात पाने के लिये उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाकर उक्त भूमि की सुरक्षा हेतू तारबंदी करना चाहता है। इसलिये प्रार्थीगण की उक्त भूमि की पत्थरगढी किया जाना आवश्कीय है।अप्रार्थीगण संख्या वल में ज्यादा है ओर मौके पर पत्यगढी नही होने देने की सम्भावना व मौके पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये पत्यरगढी की कार्यवाही जरिये पुलिस ईमाद करवाया जाना आवश्यकीय है।अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या नया 169 वपुराना 155 के खसरा नम्बर 61 रकबा 0.01 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 62 रकबा 9.27 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 9.2800 हैक्टेयर वाके ग्राम हेतमसर, पटवार हल्का भारू, भू.अ.नि. क्षेत्र भीमसर, तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू की पत्थरगढी जरिये पुलिस ईमाद से किये जाने के आदेश प्रदान करें।

पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढ़ी करवाये जाने के संबध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि का न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। अनावेदकगण संख्या 01 लगायत 03 व 05 व 08, बाद तामील अनुपस्थित। अप्रार्थीगण की तामिल विधिवत पूरण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपस्थित नहीं होते है तो यह मानकर कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार सिद्धि दिये जाने में उन्हें कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्ध आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 व 05 व 08, की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 04, 06, व 07 उपस्थित जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि ार्थना पत्र की धारा 1 जिस प्रकार से लिखी गई है अस्वीकार है। गांव हेतमसर की भूमि खाता संख्या 169 पुराना 155 मे मात्र खसरा नम्बर 61 व खसरा नम्बर 62 कुल किता 2 कुल रकबा 9.28 हैक्टर स्थित होना स्वीकार है। लेकिन उक्त खाता मे खसरा नम्बर 63 रकबा 9.2800 हैक्टर भूमि स्थित नहीं है। अस्वीकार है। गांव हेतसर मे किसी भी खाता के खसरा नम्बर 63 रकबा 9.2800 हैक्टर भूमि स्थित नही है। प्रार्थीगण को अपने रिकॉर्ड की पुनः जांच करनी चाहिये।प्रार्थना पत्र मे दर्ज आराजी कौनसी आवेदकगण ने स्पष्ट नही किया है।प्रार्थना पत्र की धारा 3 जिस प्रकार से लिखी गई है अस्वीकार है। यह लिखना अस्वीकार है कि प्रार्थीगण की सीमाओ को जारी मुस्तमिल चिन्हो के द्वारा सीमाकंन किया गया है। अप्रार्थीगण पूर्व से ही अपने हक, हकूको की भूमि पर तारबन्दी करके काबिज है।यह कि पड़ौसी होने का कोई विवाद नही है।प्रार्थना पत्र की धारा 5 जिस प्रकार से लिखी गई है अस्वीकार है। मौके पर कोई लड़ाई झगड़ा नही है। अनावेदकगण अपनी भूमि पर तारबन्दी करके काबिज है।प्रार्थना पत्र की धारा 6 जिस प्रकार से लिखी गई है। अस्वीकार है सभी पक्षकार मौके पर अपनी अपनी भूमि पर काबिज है। तारबन्दी कर रखी है। विवाद का कोई अंदेशा नही है।अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि आवेदकगण का प्रार्थना पत्र भारी कोष्ट पर खारीज फरमाये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल में शामिल पूर्व सीमाज्ञान फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 03.06.2022 का अवलोकन किया। उक्त फर्द मौका रिपोर्ट में विपरित कब्जे बाबत कोई उल्लेख नही है। अतः प्रार्थी के प्राथर्ना पत्र दौराने बहस पत्थरगढ़ी करवाये जाने के अनुरोध पर वाके ग्राम हेतमसर, तहसील मण्डावा में भूमि हाल खाता संख्या 169 के वर्तमान खसरा नम्बर 61 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा न0 62 रकबा 9.27 मुताबिक सीमाज्ञान दिनाक 03.06.2022 के अनुसार पत्थरगढ़ी फसलकाश्त होने के पश्चात के आदेश दिये जाते है। **विपरित कब्जे काश्त होने की स्थिती में यह आदेश स्वतः शुन्य होगा।** तदनुसार आदेश की पालना हेतु तहसीलदार मण्डावा को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा